UPPG010026882026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़।

पीठासीन अधिकारी–श्री राजीव कमल पाण्डेय, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

दाण्डिक निगरानी संख्या–81/2026

1. डॉ0 हिना फिरदौस कुरैशी पत्नी मो0 वसीम
2. डॉ0 कुर्रतुल ऐन पुत्री मो0 वसीम
   निवासीगण मकान नंबर 169/28 आजाद नगर
   थाना कोतवाली नगर, जिला प्रतापगढ़।

----- निगरानीकर्तागण।

बनाम

1. राज्य उ०प्र० द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) प्रतापगढ़।
2. घनश्याम चौरसिया सुत रामजी चौरसिया
   निवासी– ग्राम आसलपुर, थाना कंधई, जिला प्रतापगढ़।

-----विपक्षीगण।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या 81/2026, अन्तर्गत धारा 440, 438 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, राज्य बनाम मो0 शमीम खान आदि के वाद में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.04.2026 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है।

2. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी पर बल न देने का कथन किया गया है किन्तु फौजदारी निगरानी जिसे गुण–दोष पर ही निस्तारित किया जा सकता है। पत्रावली का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

3. प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा प्रश्नगत आपराधिक प्रकरण में पुलिस द्वारा विवेचना के उपरान्त दी गई अन्तिम रिपोर्ट को निरस्त करते हुए थानाध्यक्ष कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ को निर्देशित किया गया है कि अभियुक्तगण डॉ0 हिना फिरदौस, डॉ0 कुर्तुल एन व डॉ0 वसीम के सन्दर्भ में अग्रिम विवेचना स्वयं अथवा सक्षम प्राधिकारी से कराते हुए अपनी आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करें।

4. निगरानीकर्तागण के द्वारा यह आधार लिया गया है कि प्रश्नगत आदेश दिनांक 06.04.2026 कानूनन व वाक्यातन विधि विरूद्ध है। विवेचक ने बाद विवेचना निगरानीकर्तगण को निदोष पाते हुए अन्तिम आख्या प्रस्तुत किया था जो विधिसम्मत है। वादी मुकदमा की बहू संगीता चौरसिया, जो महिला चिकित्सालय व जिला चिकित्सालय में आशा का कार्य करती है

Digitally signed by Rajiv Kamal Pandey
Date: 2026.06.11 13:20:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मृतका खुशबू चौरसिया एवं सास ससुर से सम्बन्ध ठीक न होने के कारण कथित घटना से कई वर्ष पूर्व अलग कर दिया था। दिनांक 04.01.2024 को संगीता चौरसिया अपनी देवरानी खूशबू चौरसिया को प्रसव हेतु सायं 4:00 बजे महिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में भर्ती कराया जहाँ खुशबू चौरसिया का अल्ट्रासाउन्ड एवं रक्त परीक्षण किया गया। खुशबू की हालत दयनीय पाने पर महिला चिकित्सालय के डॉक्टर ने उसी दिन दिनांक 04.01.2024 को ही लगभग 4.30 बजे शाम को बेहतर इलाज एवं प्रसव के लिए एस.आर.एन. (स्वरूपरानी नेहरू) अस्पताल प्रयागराज के लिए रेफर कर महिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ से निकाल दिया परन्तु आशा संगीता चौरसिया व अन्य परिजन लापरवाहीपूर्वक 24 घण्टे तक खुशबू चौरसिया को कहाँ रखा इस पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने ध्यान न देकर प्रार्थीगण के विरूद्ध अग्रिम विवेचना का आदेश पारित करने में तथ्यात्मक एवं विधिक भूल किया है।

5. यह भी आधार लिया गया है कि वादी मुकदमा द्वारा कथित घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली में दिये गये प्रार्थनापत्र की जांच कोतवाली पुलिस द्वारा सी .एम.ओ. मुख्य चिकित्साधिकारी से कराने का आग्रह किया। मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतापगढ़ ने प्रकरण की जांच हेतु 4 डॉक्टरों आर.जी. चौधरी, डॉ. आर.पी. सिंह, डॉ. विनीता सिन्हा व डॉ० आजाद का एक समिति गठित कर जांच कराया। चारों डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत किया, जिसका उल्लेख केस डायरी के पर्चा नं0 6 में किया है तथा केस डायरी के पर्चा नं0 7 में चारों डॉक्टरों का विवेचक ने बयान अंकित किया है जिसमें मो0 शमीम व शकील दोषी पाये गये। प्रार्थीगण दोषी नहीं पाये गये। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में पर्चा 6 व 7 का कोई उल्लेख नहीं किया है, जिससे स्पष्ट है कि सरसरी तौर पर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है।

6. यह भी आधार लिया गया है कि विवेचक ने निष्पक्ष विवेचना करते हुए दिनांक 04.10.2024 को अभियुक्त डॉ. हिना फिरदौस, डॉ. कुर्रतुल ऐन व आशा संगीता चौरसिया के विरूद्ध अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अन्तिम आख्या दिनांक 04.10.2024 को निरस्त करके डॉ. हिना फिरदौस व डॉ० कुर्रतुल ऐन व डॉ० वसीम के विरूद्ध अग्रिम विवेचना का आदेश पारित किया परंतु आशा संगीता चौरसिया के विरूद्ध अग्रिम विवेचना का आदेश किस आधार पर नहीं पारित किया। इसका कोई कारण अपने आदेश दिनांक 06.04.2026 में नहीं दिया है। अग्रिम विवेचना का आदेश पारित करने में विधिक भूल किया है। उक्त तथा अन्य आधारों पर प्रश्नगत आदेश निरस्त करने की याचना की गयी है।

7. विद्वान न्यायालय द्वारा दिये गये प्रश्नगत आदेश दिनांकित 06.04.2026 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा मु 0 अ 0 सं0 17/2024 अन्तर्गत धारा 304, 120 बी भा0 द 0 सं0 थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ में अभियुक्तगण डॉ0 हिना फिरदौस, डॉ0 कुर्तुल एन व आशा बहू संगीता चौरसिया की नामजदगी गलत पाये जाने पर क्लोजर रिपोर्ट दिनांक 04.10.2024 दाखिल की गई थी तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट, समस्त केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभियुक्तगण डॉ0 हिना फिरदौस, डॉ0 कुर्तुल एन व डॉ0 वसीम के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा सम्यक रूप से विवेचना निष्पादित न करके सरसरी तौर पर विवेचना की

गई है। इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में विवेचना में सामने आये बिन्दुओं एवं वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र 26 ब/1 में उल्लिखित बिन्दुओं पर अग्रिम विवेचना कराया जाना न्यायोचित मानते हुए प्रश्नगत आदेश दिनांकित 06.04.2026 पारित किया गया है। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है तथा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का सम्यक प्रयोग करते हुए विधिसंगत आदेश पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अतः प्रश्नगत आदेश दिनांकित 06.04.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई फौजदारी निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

फौजदारी निगरानी संख्या 81/2026 डॉ0 हिना फिरदौस बनाम राज्य उ 0 प्र 0 आदि निरस्त की जाती है।

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा आपराधिक वाद संख्या 5655/2024 राज्य बनाम मो0 शमीम खान आदि में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 06.04.2026 पुष्ट किया जाता है।

इस आदेश की एक सत्य प्रति न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ को अविलम्ब प्रति प्रेषित हो। दाण्डिक निगरानी की मूल पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(राजीव कमल पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
प्रतापगढ़।
आई 0 डी0 नं0– यू0 पी0–2020

दिनांक– 11.06.2026

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद् घोषित किया गया।

(राजीव कमल पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
प्रतापगढ़।
आई 0 डी0 नं0– यू0 पी0–2020

दिनांक– 11.06.2026

दिनेश कुमार/पी०ए०